भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1372

उत्तर देने की तारीख-28/07/2025

स्कूली शिक्षा में रोजगार योग्य कौशल

†1372. श्री धर्मबीर सिंहः

डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्कूली शिक्षा में नवाचार और रोजगार योग्य कौशल को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 से 12 तक व्यावहारिक, प्रायोगिक और उद्योग-समन्वयित शिक्षण मॉड्यूल को एकीकृत करने का प्रस्ताव/सूत्र तैयार किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छात्रों को स्कूल में रहते हुए सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स या विनिर्माण कौशल विकसित करने में सक्षम बनाने वाले पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी स्कूलों में एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग या उत्पाद डिजाइन सिखाने के लिए चलाए जा रहे प्रायोगिक कार्यक्रमों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्योगों और एड-टेक स्टार्टअप्स के साथ किसी सहयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) सांख्यिकीय आंकड़ों सहित ऐसे कार्यान्वयन के कारण रोजगार सृजन में वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी या नूंह जैसे आकांक्षी जिलों में किन्हीं मॉडल स्कूलों को ऐसी व्यावहारिक शिक्षा पहलों के लिए चुना गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत अपनी प्रतिबद्धता के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक गतिविधियों और परियोजनाओं के माध्यम से व्यावहारिक, प्रायोगिक अधिगम और नौवीं से बारहवीं कक्षा तक उद्योग-अनुकूलित व्यावसायिक विषयों को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सिफारिश की गई है कि सभी छात्र छठी से आठवीं कक्षा के दौरान 10-दिवसीय बैगलेस अवधि में भाग लें, जहां वे स्थानीय विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ इंटर्नशिप करते हैं। इस सिफारिश के अनुसरण में, सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके 10 बैग-रहित दिवसों के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं, जिसका उद्देश्य छठी से आठवीं कक्षा के बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षण पद्धति का उपयोग करके कौशल शिक्षा प्रदान करना तथा स्कूलों में पढ़ाई को आनंदमय और तनाव मुक्त बनाना है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, समग्र शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। व्यावसायिक शिक्षा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत एक घटक है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को छठी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों को कौशल शिक्षा प्रदान करने तथा नौवीं से बारहवीं कक्षा तक कौशल पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं। माध्यमिक स्तर पर अर्थात नौवीं और दसवीं कक्षा में, कौशल मॉड्यूल छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर, अर्थात् ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा में, कौशल पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में पेश किए जाते हैं। अब तक नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के स्कूली छात्रों को 138 जॉब रोल्स (जेआर)/कौशल विषयों की पेशकश को अनुमोदित किया जा चुका है। रोजगार कौशल मॉड्यूल को जॉब रोल्स के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है जिसमें संचार कौशल, स्व-प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल शामिल हैं।

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के समन्वय से, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूल शिक्षा क्षेत्र में पीएमकेवीवाई 4.0 को क्रियान्वित कर रहा है। उदाहरण स्वरूप, पीएमकेवीवाई

4.0 के तहत स्कूल जाने वाले/स्कूल न जाने वाले युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 350 केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) को पहले ही शामिल किया जा चुका है। इसका उद्देश्य स्कूलों में कौशल विकास को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी की ज्ञान अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के लिए तैयार करना है।

शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ (एमआईसी) के तत्वावधान में, देश भर के 21,700 से अधिक स्कूलों में स्कूल नवाचार परिषद (एसआईसी) की स्थापना की गई है। एसआईसी का प्राथमिक लक्ष्य छठी से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के बीच नवाचार, उद्यमशीलता, महत्वपूर्म विचार और आईपी व्यावसायीकरण की संस्कृति को संस्थागत बनाना है, जिसमें स्कूल की क्षमता के अनुसार छोटी कक्षाओं के लिए भी अनुकूलनीय गतिविधियाँ शामिल हों।

(ख) 138 अनुमोदित एनएसक्यूएफ-अनुकूलित जॉब रोल्स (जेआर) के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण के क्षेत्रों में विभिन्न जॉब रोल्स को नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के लिए शुरू किया गया है। इनमें शामिल हैं:

सॉफ्टवेयर और आईटी: जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सीआरएम डोमेस्टिक वॉयस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट, वेब डेवलपर, साइबर सुरक्षा एसोसिएट, क्लाउड कंप्यूटिंग एसोसिएट।
इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर: फील्ड तकनीशियन - एसी, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन तकनीशियन, ड्रोन सर्विस तकनीशियन, सोलर पीवी इंस्टॉलर, घरेलू उपकरण तकनीशियन।
विनिर्माण एवं सिविल कार्य: ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल/सिविल), सहायक राजमिस्त्री, निर्माण चित्रकार, ईंट राजमिस्त्री।

(ग) सरकारी स्कूलों में एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग या उत्पाद डिजाइन सिखाने के लिए कई पायलट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें समग्र शिक्षा द्वारा वित्तपोषित परियोजना भी शामिल है, जिसके अंतर्गत दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने टैबलेट, माइक्रोकंट्रोलर और कम लागत वाली कंप्यूटिंग किट का उपयोग करके रोबोटिक्स और कोडिंग कक्षाएं प्रदान करने वाले राज्य-विशिष्ट पायलट परियोजना शुरू की गई हैं। मध्य प्रदेश पायलट परियोजना के तहत 42 स्कूलों में एआई-आधारित पाठ्यक्रम चला रहा है।

सीबीएसई ने भी वर्ष 2019-20 से नौवीं से बारहवीं कक्षा में एआई को एक कौशल विषय के रूप में शामिल किया है।

नीति आयोग द्वारा अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के अंतर्गत, एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित), रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और 3डी प्रिंटिंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं (एटीएल) स्थापित की गई हैं।

(घ) सरकार अनुभवात्मक और कौशल-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्योगों, एमएसएमई और एड-टेक स्टार्टअप के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करती है। समग्र शिक्षा योजना के व्यावसायिक शिक्षा घटक के अंतर्गत सरकार कुशल, अर्ध-कुशल ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों सहित कौशल ज्ञान प्रदाताओं, अतिथि संकाय सहित संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें उद्योग भ्रमण तथा स्कूली छात्रों को कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देने के लिए भी निधि उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

एआईसीटीई कौशल विकास और अपने तकनीकी कार्यक्रमों के साथ एकीकरण की दिशा में ठोस प्रयास कर रहा है। यह विभिन्न उद्योगों और संस्थानों के साथ मिलकर ऑनलाइन मोड में कौशल विकास पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है जिन्हें नियमित पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जा सके। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों के व्यावहारिक कौशल को निखारना और उन्हें अधिक रोजगारपरक बनाना है।

(ड) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के पास उपलब्ध आंकड़े तकनीकी शिक्षा स्तर पर छात्रों की नियुक्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। एआईसीटीई-अनुमोदित संस्थानों द्वारा स्व-घोषित सूचना के अनुसार, डिप्लोमा स्तर के छात्रों की संख्या वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,80,866 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1,91,801 हो गई। इसी प्रकार, स्नातक स्तर पर, प्लेसमेंट वर्ष 2023-24 में 4,10,843 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 4,71,227 हो गए हैं।

(च) हरियाणा राज्य ने छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल शिक्षा योजना के अंतर्गत भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और नूंह जैसे आकांक्षी जिलों में मॉडल स्कूलों को शामिल किया है तथा उनका ब्यौरा अनुलग्नक में देखा जा सकता है।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री धर्मबीर सिंह और डॉ. थोल तिरूमावलवन द्वारा "स्कूली शिक्षा में रोजगार योग्य कौशल" के संबंध में दिनांक 28.07.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1372 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	जिला	स्कूल का नाम	क्षेत्र/कौशल-1	क्षेत्र/कौशल-2	क्षेत्र/कौशल-3
1	भिवानी	वीएसएसआईएस जीएमएसएसएसएस तोशाम	आईटी/आईटीईएस	बीएफएसआई	लागू नहीं
2	भिवानी	जीएमएसएसएसएस सिवानी मंडी	ऑटोमोटिव	स्वास्थ्य सेवा	लागू नहीं
3	भिवानी	जीएमएसएसएसएस बवानी खेड़ा	आईटी/आईटीईएस	ऑटोमोटिव	लागू नहीं
4	भिवानी	जीएमएसएसएसएस लोहारू	निजी सुरक्षा	ऑटोमोटिव	लागू नहीं
5	भिवानी	जीएमएसएसएसएस भिवानी	खुदरा	ऑटोमोटिव	लागू नहीं
6	भिवानी	जीएमएसएसएसएस दुल्हेडी	आईटी/आईटीईएस	स्वास्थ्य सेवा	सौंदर्य और कल्याण
7	भिवानी	जीएमएसएसएसएस झुम्पा खुर्द	आईटी/आईटीईएस	स्वास्थ्य सेवा	लागू नहीं
8	चरखी दादरी	पीएम श्री जीएमएसएसएसएस बौंद कलां	आईटी/आईटीईएस	खुदरा	लागू नहीं
9	चरखी दादरी	जीएमएसएसएस चरखी दादरी	शारीरिक शिक्षा	स्वास्थ्य सेवा	लागू नहीं
10	चरखी दादरी	जीएमएसएसएसएस बाढड़ा	खुदरा	आईटी/आईटीईएस	लागू नहीं
11	महेंद्रगढ़	जीएमएसएसएसएस अटेली	आईटी/आईटीईएस	बीएफएसआई	लागू नहीं
12	महेंद्रगढ़	जीएमएसएसएसएस धनौंदा	आईटी/आईटीईएस	स्वास्थ्य सेवा	सौंदर्य और कल्याण

13	महेंद्रगढ़	जीएमएसएसएसएस धोलेडा	सौंदर्य और कल्याण	स्वास्थ्य सेवा	लागू नहीं
14	महेंद्रगढ़	जीएमएसएसएसएस कनीना	आईटी/आईटीईएस	स्वास्थ्य सेवा	लागू नहीं
15	महेंद्रगढ़	जीएमएसएसएसएस नारनौल	सौंदर्य और कल्याण	स्वास्थ्य सेवा	लागू नहीं
16	महेंद्रगढ़	जीएमएसएसएसएस सतनाली	आईटी/आईटीईएस	परिधान, श्रृंगार और गृह सज्जा	लागू नहीं
17	महेंद्रगढ़	जीएमएसएसएसएस सिहमा	आईटी/आईटीईएस	बीएफएसआई	लागू नहीं
18	महेंद्रगढ़	जीएमएसएसएसएस महेंद्रगढ़	सौंदर्य और कल्याण	स्वास्थ्य सेवा	लागू नहीं
19	नूह	जीएमएसएसएसएस तावडू	आईटी/आईटीईएस	निजी सुरक्षा	ऑटोमोटिव
20	नूह	जीएमएसएसएसएस सारोली	आईटी/आईटीईएस	स्वास्थ्य सेवा	लागू नहीं
21	नूह	जीएमएसएसएसएस नगीना	आईटी/आईटीईएस	ऑटोमोटिव	लागू नहीं
22	नूह	जीएमएसएसएसएस दोहा	कृषि	ऑटोमोटिव	लागू नहीं
23	नूह	जीएमएसएसएसएस रनियाला	ऑटोमोटिव	खुदरा	लागू नहीं
24	नूह	जीएमएसएसएसएस नूंह	कृषि	शारीरिक शिक्षा	लागू नहीं

*****